

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

अरवल जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल के निर्मित भवन का त्रुटिपूर्ण कार्य कराये जाने के कारण संयुक्त सचिव(प्रभारी निगरानी), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7009 दिनांक-28.09.2022 एवं अरवल जिलान्तर्गत (i) 16 कोर्ट (पुनरीक्षित 19 कोर्ट) भवन एवं हाजत भवन (ii) परिवार न्यायालय-सह-मेडियेशन सेन्टर एवं (iii) 12 पी०ओ० आवास, ए०बी०सी० टाईप न्यायिक आवास के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब के कारण उप सचिव, प्रभारी निगरानी प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1206 दिनांक-21.02.2022 द्वारा संवेदक, सीमेंस कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, प्रो० राकेश रंजन, बी०-09 अभियंता नगर, पो०-आशियाना, पटना-800025 को दोषी मानते हुए इनपर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को की गयी है । साथ ही उक्त मामले में विशेष सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5410 दिनांक-20.07.2023 द्वारा भी संवेदक पर जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है ।

संयुक्त सचिव(प्रभारी निगरानी) के उक्त अनुशंसा के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-7009 दिनांक-28.09.2022 एवं पत्रांक-3465 दिनांक-02.05.2023 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया । जवाब अप्राप्त रहने के फलस्वरूप प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया गया ।

उप सचिव(प्रभारी निगरानी प्रशाखा) के उक्त अनुशंसा के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता(दक्षिण) से उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गयी । मुख्य अभियंता(दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-838 दिनांक-10.06.2022 के द्वारा उक्त कार्य में विलंब होने के कारण अन्य संवेदक को कार्य हस्तांतरित करने की सूचना दी गयी । साथ ही कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल के पत्रांक-324अनु० दिनांक-06.05.2022 द्वारा संवेदक को तय समय में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा की गयी । तत्पश्चात् मुख्य अभियंता(दक्षिण) के पत्रांक-824अनु० दिनांक-06.06.2022 के द्वारा संबंधित कार्य को संवेदक द्वारा ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण निबंधन नियमावली-2007 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी ।

उपरोक्त अनुशंसाओं के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण के संबंधित बैठक दिनांक-26.07.2023 एवं 26.09.2023 में इसपर विचार किया गया । संवेदक से स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहने के कारण विचारोपरांत समिति के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संवेदक के निबंधन को दो वर्षों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः संवेदक, सीमेंस कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, प्रो०-राकेश रंजन, बी०-09, अभियंता नगर, पो०-आशियाना, पटना-800025 का निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-34(भवन)/2013 को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है ।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

स्पीडपोस्ट

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-06/2022

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:-संवेदक, सीमेन्स कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन, प्रो०-राकेश रंजन,बी०-09, अभियंता नगर,पो०-अशियाना, पटना-800025 का निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-34(भवन)/2013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-06/2022.....

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-06/2022.....

7900(प) पटना,दिनांक- 21/9/23

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/9/23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव